भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 122*

(12 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत प्रगति

***122. श्री कृपाल बालाजी तुमाने:**
श्री रामशिरोमणि वर्मा:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार का इसके अगले चरण के अंतर्गत कार्य शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और महाराष्ट्र के रामटेक-नागपुर जिले और उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के सभी गांवों में उक्त कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत उक्त रामटेक-नागपुर जिला और श्रावस्ती संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के गांवों के नामों को अंतिम रूप दे दिया गया है , यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) आगामी तीन वर्षों के दौरान अगले चरण में महाराष्ट्र के रामटेक-नागपुर जिले के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित सभी जिलों में कितने घरों का कब तक आवंटन किए जाने की संभावना है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 12.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए "प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत प्रगति" विषय से संबंधित नियत तारांकित प्रश्न संख्या *122 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, बुनियादी सुविधाओं वाले 2.95 करोड़ पक्के मकानों के निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिए 01 अप्रैल, 2016 से प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमएवाई-जी के लिए प्रारंभिक समय सीमा मार्च , 2022 थी, जिसे वर्तमान में मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। 2.95 करोड़ मकान निर्माण के कुल लक्ष्य में से 2.95 करोड़ मकान निर्माण के लक्ष्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्तमान स्थिति तक आवंटित किए गए है, जिसमें से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लाभार्थियों को 2.94 करोड़ से अधिक मकानों की स्वीकृति दे दी गई है और दिनांक 07.12.2023 तक 2.51 करोड़ मकानों का निर्माण पूरा कर लिया गया है।

(ख): जी, नहीं।

(ग) से (ङ): प्रश्न नहीं उठता।

*****